न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) वाद संख्या–25/09–10
सरकार –बनाम– शेखर साह एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
11.01.2019	**आदेश** विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 2405 दिनांक 17.07.2009 के द्वारा बहादुरपुर थाना कांड सं0–161/09 दिनांक 11.06.2009 के तहत जब्त 42 ड्राम मिट्टी तेल मात्रा कुल 6620 लीटर तथा 03 गैस सिलेन्डर वजन अंकित 14.2 किलोग्राम भरा हुआ एवं 13 खाली गैस सिलेन्डर को अधिहरण करन के प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत करने तथा संबंधित सामग्री को नीलाम कराकर संबंधित राशि को नजारत में जमा करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी है। तदालोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के कार्यालय पत्रांक–3161 दिनांक 18.09.09 एवं पत्रांक 2069 दिनांक 21.12.2016 से आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी इस वाद में उपस्थित हुए है, लेकिन उनके द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। चेतावनी के बाद भी अनुपस्थित रहे हैं। अतः वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गयी है। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का संक्षेप में कथन है कि अभिलेख आधारित तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम तारालाही लाइन होटल पर छापामारी के क्रम में प्रश्नगत् सामग्री जब्त किया गया है। अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाया गया है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के कार्यालय पत्रांक 3161 दिनांक 18.09.09 से कुल 64810/- रू0 एवं उनके पत्रांक 2069 दिनांक 21.12.2016 से कुल 5000/- रू0 से जमा की गयी कुल राशि को राज्यसात् किया जा सकता है। अभिलेख संधारित तथ्य से अवलोकित है कि कुल 42 ड्राम में मिट्टी तेल मात्रा 6620 लीटर एवं संबंधित खाली ड्राम को बेचने से प्राप्त राशि को अनुमंडल नजारत में दिनांक 14.09.2009 एवं दिनांक 23.09.2009 को क्रमशः जमा कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक 2069 दिनांक 21.12.2016 से यह भी प्रतिवेदित है कि बहादुरपुर थाना के पूर्व मालखाना प्रभारी श्री दिनेश पासवान पु0अ0नि0–सह–थानाध्यक्ष द्वारा मालखाना का प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण जब्ती सूची के अनुसार जब्त प्रदर्श को मालखाना में रखा है, जिसका निष्पादन अभी तक लंबित है। उक्त	

प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय यथोचित प्रतीत होता है कि संबंधित कुल राशि 69810/- रुपया को राज्यसात् किया जाय। अतः संबंधित राशि को राज्यसात् किया जाता है तथा विहित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को भेजें।

उक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/01/19

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा